कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/427/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर, दिनांक 01/06/2020

रायपुर जिले में फँसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों में से संबंधित राज्य जाने हेतु वास्तविक रूप से इच्छुक मजदूरों की जानकारी प्रमाणित रुप से संकलित करने तथा उनके आवागमन के संबंध में राज्य नोडल अधिकारी तथा संबंधित राज्यों/जिलों के नोडल अधिकारियों से समन्वय करने तथा प्रवासी मजदूरों के अन्य राज्य जाने के संबंध में समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु श्री यू. के. कच्छप, सहायक श्रमायुक्त, रायपुर (मो.नं. 94255 59440) को नोडल अधिकारी एवं श्री सियाराम पटेल, श्रम निरीक्षक, रायपुर (मो.नं. 75877 77720) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त कार्य के पर्यवेक्षण हेतु श्री संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर, तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर (7415841725) को आदेशित किया जाता है। नोडल अधिकारी रायपुर जिले में फँसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों में से संबंधित राज्य जाने हेतु वास्तविक रूप से इच्छुक मजदूरों की जानकारी संकलित कर प्रमाणित करते हुये श्री संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगें।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

पृ. क्रमांक/427A/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020 रायपुर, दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग, एवं राज्य नोडल अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. श्री संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (नगर) रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/आरंग/अभनपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्री यू.एस.अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर, एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर), रायपुर को सूचनार्थ। आप अन्य राज्यों में फँसे रायपुर जिले के प्रवासी मजदूरों की जानकारी संकलन/प्रमाणन तथा सर्व संबंधितों से समन्वय हेतु पूर्ववत नोडल अधिकारी रहेगें।
7. श्री यू. के. कच्छप, सहायक श्रमायुक्त, रायपुर, नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. श्री सियाराम पटेल, श्रम निरीक्षक, रायपुर, सहायक नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

Scanned with CamScanner